इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 354]　　भोपाल, मंगलवार, दिनांक 6 अगस्त 2013—श्रावण 15, शक 1935

कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

राजभवन, भोपाल, दिनांक 6 अगस्त 2013

क्र. एफ. 8-2-रा.स.-यू.ए.-1-2013-853.—यत: कुलाधिपतिजी के आदेश क्रमांक: एफ. 26-1-रा..स.-यू.ए.-1-2007-542, दिनांक 16 अप्रैल 2007 के द्वारा प्रत्यायोजित अधिकारों का प्रयोग करते हुए आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश के द्वारा स्नातक स्तर के विभिन्न विषयों के एकीकृत पाठ्यक्रमों के पुनरीक्षण हेतु केन्द्रीय अध्ययन मंडलों का गठन किया गया है. ''आधार पाठ्यक्रम'' के लिए गठित केन्द्रीय अध्ययन मण्डल ने ''नैतिक शिक्षा'' को ''आधार पाठ्यक्रम'' में शामिल करने के लिये माननीय कुलाधिपतिजी को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की है.

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 34-क की उपधारा (9) के तहत् प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुलाधिपतिजी के द्वारा उपरोक्त पाठ्यक्रम को अनुमोदित किया गया है.

मध्यप्रदेश के विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के आदेशानुसार,
शैलेन्द्र कियावत, राज्यपाल के उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.